>

Title: Need to deposit Central funds given by the Centre to states for Central schemes in banks instead of Treasury so that Government can earn interest in case of delay in utilization of funds.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में स्वीकृत योजनाओं के लिए प्रारम्भ में भू अर्जन हेतु करोड़ों रुपये की राशि संबंधित राज्य को अग्रिम जारी कर दी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में भू राजस्व संहिता के अंतर्गत भू अर्जन हेतु प्रारम्भिक प्रकाशन के पश्चात् धारा 4 का प्रकाशन किया जाता है तथा उसके दो-दो महीने के अंतराल से धारा 6, 8 एवं 10 का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में किया जाता है। तत्पश्चात् किसी भी विभाग, कृषक, संस्था की भूमि की उस योजना विशेष के लिए आवश्यकता होती है। उसे सुनवाई का मौका देने के बाद भूमि के मुआवजे हेतु अवार्ड पारित किया जाता है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कर संबंधित योजना का कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में आता है। इस पूरी कार्यवाही में धारा 8 के प्रकाशन के पश्चात् भूमि का मुआवजा देने व भूमि अधिग्रहण करने में भू राजस्व संहिता के अनुसार एक वर्ष से अधिक का समय लगता है और वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रक्रिया में आपत्ति लगने तथा उसका निराकरण होने व कभी-कभी भू राजस्व संहिता की भूमि अधिग्रहण से संबंधित धाराओं का राजपत्र में प्रकाशन समय पर न होने के कारण तीन-चार वर्ष भी लग जाते हैं।

महोदय, भू-राजस्व संहिता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जिस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण की राशि उपलब्ध करायी जाये, उस योजना में यदि उक्त राशि का ब्याज भी प्राप्त हो, तो वह राशि भी उसी योजना में व्यय की जाये। परन्तु इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी लापरवाही यह है कि भू-अर्जन हेतु दी जाने वाली इस अग्रिम राशि को राज्य सरकारों द्वारा संबंधित जिला कलैक्टर के पीडी एकाउंट के माध्यम से ट्रेजरी में जमा रखा जाता है, जिसमें ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अमलाबे जी, आपकी बात आ गयी है, इसलिए आप अब बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह अमलाबे : इसका ज्वलंत उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश में भारत सरकार के रेलवे विभाग द्वारा रामगंज मंडी- भोपाल नई रेलवे लाइन हेतु भू-अर्जन के मुआवजे के रूप में भेजी गयी लगभग 22 करोड़ की राशि है, जो गत तीन वर्षों से राजगढ़ कलेक्टर के पी.डी. एकाउंट के माध्यम से ट्रेजरी में जमा है जिस पर कोई ब्याज न मिलने के कारण जस की तस रखी हुई है ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नारायण अमलाबे जी, आपकी बात आ गयी है, इसलिए आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह अमलाबे : सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों को ऐसे दिशा निर्देश दिये जायें कि यदि किसी कारणवश प्रथम चरण में दी गयी राशि का उपयोग नहीं हो पाया है, तो उक्त राशि को किसी ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक के एकाउंट में जमा करवा दिया जाये जिससे अधिकतम ब्याज प्राप्त हो सके, ताकि विलंब की स्थिति में उक्त राशि में समुचित वृद्धि भी हो सके।

महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।